277

2

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष, राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प– रीवा, संभाग रीवा (म.प्र.)

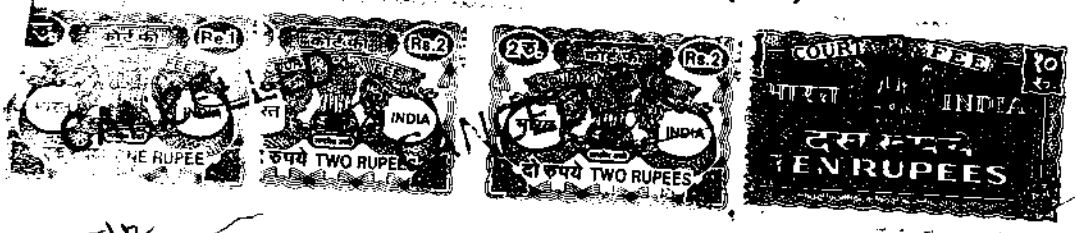

R-1936-III/12

1. गोमती प्रसाद पाण्डेय पिता रामचन्द्र पाण्डेय निवासी ग्राम बहेरी, तह. चितरंगी, जिला सिंगरौली (म.प्र.) .... निगरानीकर्ता

बनाम

1. शारदा प्रसाद पिता बद्री विशाल राम ब्रा. निवासी ग्राम खडौरा तह. देवसर
2. रामचरित्र पिता सरजू प्रसाद ब्रा. (फौत)

वरिसान :–

(1) चन्द्रिका प्रसाद चतुर्वेदी पिता स्व. रामचरित्र चतुर्वेदी, निवासी ग्राम खडौरा तह. देवसर

(2) रामजी चतुर्वेदी पिता स्व. रामचरित्र चतुर्वेदी, निवासी ग्राम खडौरा तह. देवसर

(3) श्रीनाथ चतुर्वेदी पिता स्व. रामचरित्र चतुर्वेदी, निवासी ग्राम खडौरा तह. देवसर

(4) रमाकांत चतुर्वेदी पिता स्व. रामचरित्र चतुर्वेदी, निवासी ग्राम खडौरा तह. देवसर

(5) श्रीमती देवलिया पिता स्व. रामचरित्र चतुर्वेदी, पति रामलल्लू पाठक निवासी ग्राम सुपेला तह. देवसर

(6) श्रीमती कुंती पिता स्व. रामचरित्र चतुर्वेदी, पति युधिष्ठिर देव उर्फ चोराटी देव पाण्डेय निवासी ग्राम चतरवार तह. राबर्टसगंज जिला सोनभद्र उ0प्र0

(7) श्रीमती मामा पाण्डेय पिता स्व. रामचरित्र चतुर्वेदी, पति गौरी देव पाण्डेय

3. विन्ध्यवासिनी प्रसाद पिता कामता प्रसाद चतुर्वेदी, ग्राम पचौर, तह. देवसर
4. द्वारिका प्रसाद पिता रामलल्लू ब्रा. निवासी ग्राम पचौर तह. देवसर
5. गंगा प्रसाद पिता रामलल्लू ब्रा. ग्राम खडौरा तह. देवसर
7. मुक्तिनाथ पिता रामलल्लू ब्रा. ग्राम खडौरा तह. देवसर .... गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 15.03.12 जो राजस्व प्रकरण क्र.51/निग./10–11 को माननीय अपर कले0 महो0 सिंगरौली द्वारा पारित किया गया।

अपील अन्तर्गत धारा 50 भू.रा.सं.1959

संक्षिप्त आधार

निगरानीकर्ता द्वारा ग्राम बरगवां तहसील देवसर का पुराना आराजी नं. 41 रकवा 3.06 में से अंश रकवा 1.02 जो उत्तरवादी क्र. 4 ता 7 के पिता व उत्तरवादी क्र. 3 के बाबा को प्राप्त 1/3 हिस्से को मुबलिक 340.00 रु. में क्रय किया था। इसी तरह से उत्तरवादी क्र. 1 के पिता बद्रीविशाल राम ब्रा. से उनका 1/3 हिस्सा 1.02 ए. जरिए रजिस्ट्री क्रय किया था, जों कि पंजी क्र. 25 आदेश दिनांक 15.7.62 को जरिए नामान्तरण राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। बाद में गैरनिगरानीकर्तागणों द्वारा तहसीलदार महोदय देवसर के न्यायालय में उक्त नामान्तरण को फर्जी बताते हुए निरस्त करने की मांग की जो कि तहसीलदार महोदय द्वारा अपने आदेश दिनांक 14.02.84 के तहत निरस्त कर दिया था। तब निगरानीकर्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी देवसर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जिसको अनुविभागीय अधिकारी देवसर ने प्रकरण को रिमाण्ड कर गुण दोष पर सुनवाई हेतु आदेशित किया। माननीय तहसीलदार महोदय द्वारा निगरानीकर्ता को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिये बगैर आदेश पारित किया है जिसके विरुद्ध निगरानीकर्ता द्वारा माननीय अपर कलेक्टर महोदय सिंगरौली के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की किन्तु माननीय अपर कलेक्टर महोदय द्वारा भी प्रकरण के तथ्यों का उचित परिशीलन न करते हुए आदेश पारित किया है। जिससे परिवेदित होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

1.यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रकृया के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

2. यहकि उत्तरवादी क्र.3 ता 7 के पिता स्व. रामलल्लूराम ब्रा. द्वारा दिनांक 05.06.61 को बेंची टीप स्टाम्प पेपर पर लेख कराकर विवादित आराजी पुराना खसरा नं. 41 कुल रकवा 3.06 ए. स्थित ग्राम बरगवां तहसील देवसर जिला सिंगरौली में से 1/3 भाग यानि 1.02 एकड 340 रु. में निगरानीकर्ता के पिता स्व. रामचन्द्र राम ब्रा. तनय केमल राम ब्रा. के नाम बेंची टीप तहरीर कराया गया था व उत्तरवादी क्र. 1 के पिता बद्रीविशाल राम ब्रा. से जरिए राजिस्ट्री क्रय किया था, उक्त बेंची टीप व राजिस्ट्री

XXXIX(a)-BR(H)-11

2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R1936-I/12 जिला– सिंगरौली

गोमती प्रसाद पाण्डेय/शारदा प्रसाद

(1)	(2)	(3)
5-8-19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री विवेक शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सिंगरौली प्रकरण क्रमांक 51/निगरानी/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 15.12.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.10.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य	